MORNING STANDARD, Delhi, 6.11.2020
Page No. 7, Size:(15.58)cms X (5.74)cms.

NHRC SEEKS REPORT FROM MUMBAI POLICE

The National Human Rights Commission has taken cognisance of the alleged assault on journalist Arnab Goswami and has directed Mumbai and Raigad police to file a report within four weeks. The human rights panel took cognisance of a complaint filed by Goswami's lawyer Siddharth Nayak who termed the arrest of Republic TV Editor-in-Chief as "unlawful and politically motivated". Nayak has sought action against Mumbai and Raigad police for what "blatant and brazenly illegitimate action of arresting Goswami".

HARI BHOOMI, Delhi, 6.11.2020
Page No. 9, Size:(16.69)cms X (17.66)cms.

अर्नब की जमानत पर सुनवाई आज

महाराष्ट्र मानवाधिकार ने एसपी को भेजा समन

एजेंसी ▶▶ मुंबई

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा के निशाने पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार है तो वहीं दिल्ली से लेकर भोपाल तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है तो इसी बीच महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने रायगढ़ एसपी को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे शुक्रवार सुबह 11 बजे सारे सबूतों और कागजों के साथ आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

अधिवक्ता आदित्य मिश्रा ने अर्नब की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की थी और मामले पर तत्काल विचार करने का आह्वान किया था। अर्नब को बुधवार सुबह मुंबई पुलिस ने दो साल पुराने केस में गिरफ्तार किया है। अर्नब की जमानत पर आज बांबे हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी।

I NEXT, Dehradun, 6.11.2020

Page No. 1, Size:(10.05)cms X (14.74)cms.

मानवाधिकार आयोग में बिल्डर्स की कंप्लेन

DEHRADUN (5 Nov): निवेशकों को समय पर फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं. ऐसे में एक तरफ वह बैंक ऋण की मोटी किश्त भरने को मजबूर हैं तो दूसरी तरफ उन्हें मकान का किराया भी देना पड़ रहा है. निवेशकों की परेशानी को लेकर दायर की गई शिकायत को लेकर मानवाधिकार आयोग ने उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को समुचित कार्रवाई करने को कहा है. कालिंदी एन्क्लेव निवासी डॉ. टीएन जौहर ने बिल्डरों की मनमानी को लेकर मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा कि बिल्डर समय पर फ्लैट तैयार नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में जब निवेशक ब्याज समेत अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, तो उन्हें उनका पैसा भी नहीं मिल पा रहा. तमाम आवासीय परियोजनाएं समय बीतने के बाद भी अपूर्ण हैं. जब रेरा ऐसे बिल्डरों को धनराशि लौटाने का आदेश देता है, तो उसका भी अनुपालन नहीं किया जाता. निवेशक बेबस नजर आ रहे हैं. सुनवाई करते हुए मानवाधिकार आयोग के सदस्य अखिलेश चंद्र शर्मा ने रेरा अध्यक्ष को पत्र जारी किया.

NEW INDIAN EXPRESS, Chennai, 6.11.2020
Page No. 9, Size:(13.04)cms X (5.20)cms.

NHRC SEEKS REPORT FROM MUMBAI POLICE

The National Human Rights Commission has taken cognisance of the alleged assault on journalist Arnab Goswami and has directed Mumbai and Raigad police to file a report within four weeks. The human rights panel took cognisance of a complaint filed by Goswami's lawyer Siddharth Nayak who termed the arrest of Republic TV Editor-in-Chief as "unlawful and politically motivated". Nayak has sought action against Mumbai and Raigad police for what "blatant and brazenly illegitimate action of arresting Goswami".

DAINIK JAGRAN, Dehradun, 6.11.2020
Page No. 7, Size:(14.72)cms X (13.56)cms.

बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश लगाए रेरा : मानवाधिकार आयोग

सुनवाई

- मानवाधिकार आयोग ने कार्रवाई के लिए रेरा अध्यक्ष को दिए निर्देश
- कालिंदी एन्क्लेव निवासी डॉ. टीएन जौहर ने आयोग से की थी शिकायत

जागरण संवाददाता, देहरादून: खून-पसीने की गाढ़ी कमाई लगाने के बाद भी निवेशकों को समय पर फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ वह बैंक ऋण की मोटी किश्त भरने को मजबूर हैं तो दूसरी तरफ उन्हें मकान का किराया भी देना पड़ रहा है। निवेशकों की परेशानी को लेकर दायर की गई शिकायत के क्रम में मानवाधिकार आयोग ने उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को समुचित कार्रवाई करने को कहा है।

कालिंदी एन्क्लेव निवासी डॉ. टीएन जौहर ने बिल्डरों की मनमानी को लेकर मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि बिल्डर समय पर फ्लैट तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जब निवेशक ब्याज समेत अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, तो उन्हें उनका पैसा भी नहीं मिल पा रहा। तमाम आवासीय परियोजनाएं समय बीतने के बाद भी अपूर्ण हैं। जब रेरा ऐसे बिल्डरों को धनराशि लौटाने का आदेश देता है, तो उसका भी अनुपालन नहीं किया जाता। इस तरह की स्थिति में निवेशक बेबस नजर आ रहे हैं। सुनवाई करते हुए मानवाधिकार आयोग के सदस्य अखिलेश चंद्र शर्मा ने रेरा अध्यक्ष को पत्र जारी किया। आयोग ने कहा कि शिकायत में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उसका समाधान किया जाना जरूरी है, ताकि बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश लग सके।